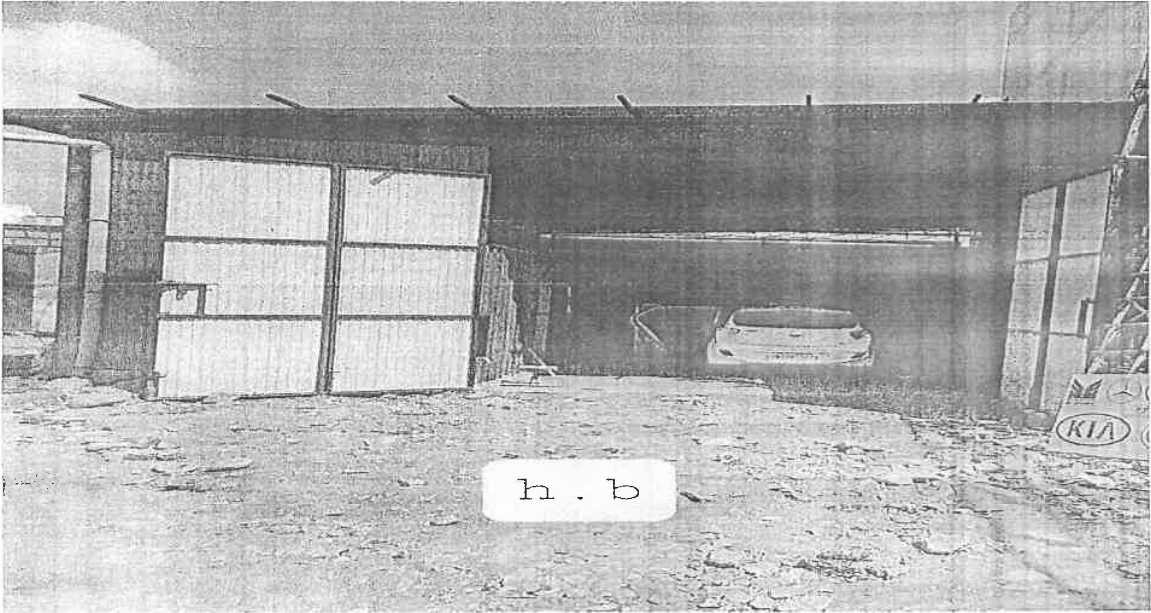




कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांक:-7/15 वाद संख्या सी-1114/एस-1/2023

दिनांक 3/12/23

श्री तनवीर/हितवद्द व्यक्ति,
निकट-एमआरएम टायर शोरूम, हरिद्वार वाईपास रोड,
देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) की धारा 27 (1) अधीन नोटिस जो कि आप द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा (14) में वर्णित आज्ञा/अनुज्ञा/स्वीकृति किये बिना या प्राप्त/ अनुज्ञा/स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन कर लगभग 30 गुणा 50 के क्षेत्रफल में भूतल पर टिन शैड का निर्माण करने के कारण नोटिस जारी कर वाद संख्या सी-1114/2023 योजित किया गया। जिसमें दिनांक 06.11.2023 की सुनवाई की तिथि नियत की गयी। परन्तु नियत तिथि में आप उपस्थित नहीं हुए और न ही आपके स्तर से कोई जबाव प्राप्त हुआ है। पुत्र दिनांक 09.11.2023 को निर्माण को सील/ध्वस्तीकरण का कारण बताओं नोटिस जारी कर दिनांक 20.11.2023 की तिथि सुनवाई/जबाव देने हेतु नियत की गयी। जो दिनांक 09.11.2023 को स्थल पर प्राप्त कराया गया। परन्तु नियत तिथि पर आप उपस्थित नहीं हुए और न ही आपके द्वारा कोई जबाव कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ कर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में निर्माण को सील करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।



आदेश

विपक्षी श्री तनवीर/हितवद्ध व्यक्ति, निकट-एमआरएम टायर शोरूम, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) की धारा 27 (1) अधीन नोटिस जो कि आप द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा (14) में वर्णित आज्ञा/अनुज्ञा/स्वीकृति किये बिना या प्राप्त/अनुज्ञा/स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन कर लगभग 30 गुणा 50 के क्षेत्रफल में भूतल पर टिन शैड का निर्माण करने के कारण नोटिस जारी कर वाद संख्या सी-1114/2023 योजित किया गया। विपक्षी को प्राधिकरण स्तर से पर्याप्त अवसर दिया गया गया है। परन्तु विपक्षी द्वारा अपने निर्माण के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और न ही सुनवाई में उपस्थित हुए हैं। विपक्षी को नोटिस की जानकारी होने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति निर्माण पर अकुशल लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार चालानशुद्धा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सीलिंग के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15/11/23 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न हटाने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चरपा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

(रजा अल्लास)

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि-

- 1-जिलाधिकारी महोदय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि को उक्त कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।
- 2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
- 5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को दो वाहन एवं सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।